

असाधारण अवकाश के संबंध में संशोधित नियम

F.1(2)FD/RULES/2006-I JAIPUR DATED 08 AUG 2019

- 1 *किसी भी प्रकार के असाधारण अवकाश के लिए पूर्व में स्वीकृति जरूरी होगी* ।
- 2 *बिना पूर्व स्वीकृति के यह अवकाश अमान्य होगा इसे अनुपस्थिति माना जायेगा।*
- 3 *असाधारण अवकाश की स्वीकृति स्वयं के पति, पत्नी, माता, पिता और बच्चों की गंभीर बीमारी के कारण चिकित्सा अधिकारी के प्रमाण के पत्र के आधार पर ही होंगी*
- 4 *तीस दिन तक का असाधारण अवकाश नियुक्ति अधिकारी स्वीकृत करेंगे इससे अधिक अवधि के अवकाश की स्वीकृति प्रशासनिक विभाग करेगा*
- 5 *तीस दिन से अधिक अवधि का असाधारण अवकाश लेने पर अवकाश की अवधि का प्रोबेशन बढ़ेगा।*
- 6 *अध्ययन/परीक्षा तैयारी हेतु असाधारण अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा।*

शैक्षिक समाचार राजस्थान